न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर,खण्डपीठ रीवा (म.प्र.)

निगरानी प्र.क्र............../2014–15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/–

R- 4147-III/14

825 25.11.14

श्रीमती गीता दुबे पत्नी श्री कुन्जबिहारी दुबे निवासी ग्राम नदना,तहसील मनगवॉं,जिला रीवा (म.प्र.) -----निगरानीकर्ता

बनाम

1. उर्मिला प्रसाद चतुर्वेदी तनय स्व.श्री अबधशरण चतुर्वेदी निवासी ग्राम नदना,तहसील मनगवॉं,जिला रीवा (म.प्र.)
2. मुस.छोहगरिया पत्नी स्व.श्री गैबीनाथ ब्रा.निवासी ग्राम नदना,तहसील मनगवॉं,जिला रीवा (म.प्र.) ---गैरनिगरानीकर्ता गण

श्री आर.बी.एल. कुमार मिश्रा .एड के द्वारा आज दिनांक 25.11.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी,तहसील मनगवॉं,जिला रीवा (म.प्र.) के अपील प्रकरण क्र.158/अ6/2013–14 में पारित आदेश दिनॉंक 11.11.2014,जिसके द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को अस्वीकार किया जाकर अपील काल वाधित मानते हुए अग्राह्य कर दी गयी है ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 ई.

क्रमांक 3844
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ________ को प्राप्त
5-12-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

आराजी नम्बर 805/1 रकवा 0.117 हे.एवं आराजी नम्बर 790/2 रकवा 0.036 हे. किता 2 कुल रकवा 0.153 हे. यानी 0.38 एकड़ भू–भाग स्थित मौजा नदना,पटवारी हल्का नं.58,सर्किल ~~बैकुण्ठपुर~~ [handwritten correction],तहसील मनगवॉं,जिला रीवा,को पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा मुवलिग 37500/–रू.में दिनॉंक 22.02.2005 को निगरानीकर्ता ने गैरनिगरानीकर्ता क्र.2 छोहगरिया से क्रय कर मौके से काबिज दखील चली आ रही है । तथा उक्त भू–भाग के सम्बन्ध में पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर प्र.क्र.85अ6/2004–2005 आदेश दिनॉंक 19.09.2005 द्वारा निगरानीकर्ता के नाम उक्त भूमियों का नामांतरण भी प्रमाणित हो चुका है । लेकिन इसी भूमि नम्बर 790/2 का नामान्तरण आदेश विधि विरूद्ध ढंग से गैर निगरानीकर्ता क्र.1 द्वारा बिना

गीता

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 4147-पीटी/14 जिला रीवा

श्रीमती गीता दुबे / अखिलेश प्रसाद चतुर्वेदी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-9-15	आवेदक अभि० उपस्थित। उनके द्वारा निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं के आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। ग्राह्यता पर आदेशार्थ। सदस्य	
	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मऊगंज जिला रीवा के मामला क्रमांक 158/अ-6/13-14 आ. दि. 11.11.14 के विरुद्ध दायर की गई है। जिसके साथ स्थगन आवेदन भी पेश किया गया है।	
	2- मामले में संलग्न प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 11.11.14 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेखों के अवलोकन करने के उपरान्त म्याद अधिनियम की धारा-5 का आवेदन अमान्य किया गया है, जिसके विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी दायर की गई है।	
	3- प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 11.11.14 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि "7-3-14 को अगली तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन दोनों ही पक्षों के अधिवक्ता	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	→ उपस्थित थे। उनके हस्ताक्षर आदेश पत्रिका में बने हुए हैं।" यह भी लिखा है कि "अपीलार्थी के अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग लिया है और जिस तारीख को आदेश पारित हुआ है, उस तारीख की जानकारी भी उसे थी।" उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकार का समय सीमा का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। फलतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया प्रचलनशील न होने से इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है। सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.